RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 05/2023

अपीलांटगण–

1. श्री भोमाराम पुत्र सोनाराम के कायम मुकाम
   1/1 हेमी देवी पत्नी भोमाराम
   1/2 सुवटी पुत्र भोमाराम
   1/3 लीला पुत्र भोमाराम
   1/4 सौरभ पुत्री भोमाराम
2. श्री धनसिंह पुत्र भोमाराम

जातियान राजपुरोहित, निवासीयान इन्द्राणा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 श्री अशोक सिंह पुत्र मोडाराम
2 श्री गोविन्दसिंह पुत्र मोडाराम
3 श्री छतरसिंह पुत्र मोडाराम
4 श्री नीम्बसिंह पुत्र मोडाराम
5 श्री भलसिंह पुत्र भुदराराम
6 श्री भंवरसिंह पुत्र खंगाराराम
7 श्री हड़मानसिंह पुत्र खंगाराराम
8 श्री दीपसिंह पुत्र भोमाराम
9 श्री शैतानसिंह पुत्र भोमाराम
10 श्री मिश्राराम पुत्र भोमाराम के कायम मुकाम
   10/1. राजुसिंह पुत्र मिश्राराम
   10/2. कमलेश पुत्र मिश्राराम
   10/3 वरजुदेवी पत्नी मिश्राराम
   जातियान राजपुरोहित, निवासियान इन्द्राणा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।
11. श्री तहसीलदार सिवाना, जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/भू.अ./2019/205–06 दिनांक 04.02.2019 जो तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री कपील श्रीमाली, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण संख्या 1, 3, 5, 6, 7 की ओर से अनुपस्थित।
3. श्री सुरेश पुनड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण संख्या 2, 4 की ओर से बावजूद सूचना अनुपस्थित

जिला कलक्टर
बालोतरा

निर्णय

दिनांक : 12.11.2024

1. अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट संख्या 11 तहसीलदार सिवाना के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक/भू.अ./2019/205–06 दिनांक 04.02.2019 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर दिनांक 25.08.2020 एवं इस न्यायालय में दिनांक 01.11.2023 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा कल्याणसिंह की ढाणी के खेत खसरा नंबर 1150 रकबा 2.4281, 1153 रकबा 1.5459, 1168 रकबा 2.8247, 49 रकबा 10.6918 एवं मौजा इन्द्राणा के खेत खसरा नंबर 411 रकबा 2.7924, 415 रकबा 2.9704 बीघा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण द्वारा दिनांक 25.01.2019 को तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। इस पर तहसीलदार सिवाना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2019 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.11.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब में कथन किया कि आलोच्य भूमि के खसरा संख्या 1150, 1153, 1168, 49 मौजा कल्याणसिंह की ढाणी व खसरा संख्या 411, 415 मौजा इन्द्राणा सोनाराम के नाम खातेदारी थी। सोनाराम फौत होने के बाद जरीये फौतगी म्युटेशन सोनाराम के पुत्रान खंगाराराम, भोमाराम, भुदराराम, मोडाराम के नाम दर्ज की गई। सोनाराम के फौत होने के बाद अपीलांट संख्या 2 या रेस्पोडेंट संख्या 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3 के नाम म्युटेशन दर्ज नहीं किया जा सकता। अपीलांट भोमाराम ने स्वैच्छा से उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमियों का विधिवत रूप से बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बंटवाड़ा अपने पुत्रान की उपस्थित में भूमिधारक तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 25.01.2019 को सहमति दी, जिसके आधार पर दिनांक 04.02.2019 को विभाजन आदेश अधीनस्थ तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 8 दीपसिंह ने एक राजस्व वाद 09/2019 व राजस्व विविध प्रकरण संख्या 17/2019 सहायक कलेक्टर सिवाना में पेश किया गया, जिसे स्पष्ट है कि उक्त बंटवाड़ा जिसे वर्तमान अपील में प्रश्नगत किया गया है, के तथ्यों की बखुबी जानकारी अपीलांट को दिनांक 04.02.2019 से ही रही है। अपीलांट संख्या 2 को वर्तमान अपील प्रस्तुत करने की कोई लॉकसस्टेण्डी प्राप्त नहीं है, क्योंकि अपीलांट संख्या 2 अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये विभाजन प्रस्ताव में नहीं था, और न सहखातेदार ही था। अपीलांट प्रश्नगत भूमियों का बंटवाड़ा नहीं करना चाहता है, इस कारण बार बार अलग अलग न्यायालयों में प्रकरण प्रस्तुत कर

जिला कलक्टर
बालोतरा

मामले को लम्बित किया जा रहा है। अधीनस्थ तहसीलदार सिवाना के द्वारा सहमति के आधार पर प्रस्तुत हुए विभाजन पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2019 के अनुसार रेकर्ड नक्शा, जमाबंदी मे अमल दरामद होने से किसी भी पक्षकार खातेदार के कब्जे की स्थिति एवं हिस्से की स्थिति में परिवर्तन होता है, और न ही किसी की ढाणी, फसल, पानी के टांके इत्यादी प्रभावित होते है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को म्याद बाहर होने से एवं सारहीन होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण की पैतृक भुमि मौजा कल्याणसिंह की ढाणी, तहसील सिवाना में के खेत खसरा नंबर 1150 रकबा 2.4281, 1153 रकबा 1.5459, 1168 रकबा 2.8247, 49 कबा 10.6918 एवं मौजा इन्द्राणा, तहसील सिवाना के खेत खसरा नंबर 411 रकबा 2.7924, 415 रकबा 2.9704 बीघा अवस्थित है। उक्त विवादित भूमि अपीलांट के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि वक्त सेंटलमेंट सोनाराम पुत्र मूलाराम के खातेदारी की थी। खातेदार सोनाराम के फौतगी उपरांत उक्त भूमि सोनारामजी के चारो पुत्र खंगाराराम, भोमाराम, भुदराराम तथा मोडाराम को विरासत के तौर पर प्राप्त हुई। खातेदार मोडाराम, भुदराराम व खंगाराराम के फौत होने से वादग्रस्त भूमि पर बतौर वारिस रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 काबिज है एवं अपीलांट 1 भोमाराम के फौत होने पर अपीलांट संख्या 2 व रेस्पोडेंट संख्या 8 ता 10 मौके पर बतौर सहखातेदार के काबिज है। रेस्पोडेंट संख्या 6 राजनीति में सकीय होने के कारण अपीलांट भोमाराम वृद्ध एवं अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उक्त भूमि के विभाजन के कागजात पर सहमति के अंगुष्ठ निशान करवाकर तथा अन्य खातेदार से मिलकर वादगस्त भूमि बाबत् सहमति के जरिये बंटवाड़ा का आदेश भी करवा दिया, जिसका ज्ञान अपीलांटगण को नहीं था। वादग्रस्त भूमि बाबत् किये गये विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण के हस्ताक्षर धोखे से व उसकी असक्षमता को ध्यान में रखते हुए करवाये गये थे, जिसका ज्ञान अपीलांट भोमाराम को नहीं था। वादगस्त खातेदारी भूमि संयुक्त हिस्से की पैतृक खातेदार भूमि है। वादगस्त भूमि पर अपीलांट संख्या 2 व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 8 बतौर वारिस सोनारामजी के हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत काबिज कास्त थे, जिनका हक जन्म से वादगस्त भूमि बाबत् विद्यमान है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट संख्या 2 व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 8 के रहवासीय मकानात एव कास्त के तौर पर अनार इत्यादी की फसल खड़ी है। उक्त आलोच्य विभाजन आदेश अपीलांट संख्या 2 व रस्पोडेंट संख्या 2 से 8 की बिना सहमति से किया गया है। उक्त आलोच्य विभाजन प्रस्ताव का आदेश शुरू से ही मिलावटी एवं धोखाधड़ीपूर्वक किये जाने से कानूनन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

6. अपीलांटगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि उक्त खसरान संख्या 49 में मौके एवं रिकार्ड में अन्तर पाया गया है। उक्त आलोच्य विभाजन रेस्पोडेंट संख्या 6 द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक करवाया गया था, जिनका ज्ञान अपीलांट को पूर्व में नहीं था। काफी तलाश के बाद आलोच्य आदेश की नकल अपीलांट को दिनांक 20.12.2019 को प्राप्त होने पर जानकारी हुई। उक्त खसरा नंबर 49 में अपीलाकर्ता एवं अपीलांट संख्या 1 के चारो पूत्रों की पैतृक ढाणियां, टांका एवं चारागाह बने हुए है। रेस्पोडेंट संख्या 6 द्वारा षड्यंत्र पूर्वक रेस्पोडेंट संख्या 5 व 9 को गुमराह कर अपीलाकर्ता की ढाणिया एवं अनार की फसल को उतरदाता संख्या 5 के हिस्से में दर्शाकर विभाजन करवा दिया गया। अपीलकर्ता की ढाणी एवं फसल को हटाने पर आमदा है, यदि रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 अपने

जिला कलक्टर
बालोतरा

उद्देश्य में कामयाब हो जाते है, तो अपीलांट की सालों की मेहनत चौपट हो जायेगी। खातेदारान पक्षकरान ने अपने कब्जे काश्त अनुसार ही 50 वर्षों से भी ज्यादा समय से वादग्रस्त आराजी पर काबिज है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना द्वारा उक्त आलोच्य विभाजन आदेश निरस्त करते हुए मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किया जाये।

7. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा कल्याणसिंह की ढाणी के खेत खसरा नंबर 1150 रकबा 2.4281, 1153 रकबा 1.5459, 1168 रकबा 2.8247, 49 कबा 10.6918 एवं मौजा इन्द्राणा के खेत खसरा नंबर 411 रकबा 2.7924, 415 रकबा 2.9704 बीघा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण द्वारा दिनांक 25.01.2019 को तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। इस पर तहसीलदार सिवाना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2019 पारित किया गया। चूंकि अपीलांट की मुख्य आपत्ति है, कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से तबल की गई मौका रिपोर्ट में मौजा क्लयाणसिंह की ढाणी के खसरा नंबर 1150, 1153,1168 व मौजा इन्द्राणा के खसरा नंबर 411, 415 का रेकर्ड मौका अनुसार सही होना बताया गया तथा मौजा कल्याणसिंह की ढाणी के खसरा नंबर 49 में रेकर्ड व मौका में भिन्नता होना बताया गया, लेकिन अपीलांट स्वयं खसरा नंबर 49 के मौके पर अपने हक से ज्यादा भूमि हैक्टयर पर अवस्थित होना बताया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज में उक्त आलोच्य बंटवाड़ा से संबंधित घोषणा का दावा अन्य न्यायालय में विचाराधीन होना बताया गया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय से तलब की गई मूल पत्रावली में अधीनस्थ तहसीलदार सिवाना के समक्ष पेश विभाजन सहमति प्रस्ताव पर अपीलांट के स्वयं एवं अन्य सहखातेदार के हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान अंकित होना पाया गया एवं विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए सहमति हेतु हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान अंकित कराये गये हैं। इस प्रकार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स को बंटवाड़े की सम्पूर्ण जानकारी होना प्रतीत होता हैं। अतः अपीलांट्स का यह कहना कि अपीलाधीन विभाजन के वास्तविक तथ्य उनकी जानकारी में नही थे, उचित प्रतीत नही होता है। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधीनस्थ तहसीलदार सिवाना के समक्ष सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा इस इकरारनामा को पक्षकारान की उपस्थिति में उनकी स्वतंत्र सहमति से अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं। ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तसहीलदार सिवाना द्वारा पारित विभाजन आदेश क्रमांक/भू.अ./2019/205–06 दिनांक 04.02.2019 को बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलेक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
बालोतरा